न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 01/2017

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. लिखमाराम पुत्र श्री जीताराम 2. जेठाराम पुत्र श्री जीताराम सभी जातियान-बावरी निवासीगण-ग्राम तिंवरी तहसील-तिंवरी जिला-जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला-जोधपुर

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 14.09.2016 पारित द्वारा तहसीलदार तिंवरी प्रकरण संख्या 29/2016 बअनवान राज्य सरकार बनाम लिखमाराम वगैरह, जिसमें अपीलार्थीगण को अतिक्रमी मानते हुये कृषि भूमि से बेदखली का आदेश पारित किया के विरूद्ध।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 27.02.2017

अपीलान्ट लिखमाराम पुत्र श्री जीताराम जाति बावरी निवासी ग्राम तिंवरी, तहसील तिंवरी जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार, तिंवरी द्वारा दिनांक 14.09.2016 को प्रकरण संख्या 29/2016 बअनवान सरकार बनाम लिखमाराम पुत्र जीताराम वगैरह में पारित आदेश को निरस्त कराने हेतु पेश की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी तिंवरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के खसरा नम्बर 628 रकबा 0.06 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पर अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् अपीलार्थीगण ने लिखित में जवाब प्रस्तुत कर बताया कि मौके पर रास्ता खुला है तथा अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। इसके पश्चात् तहसीलदार द्वारा दिनांक 5.8.2016 को भू अभिलेख निरीक्षक तिंवरी को जांच कर अतिक्रमण की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को आदेशित किया गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक तिंवरी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.08.2016 में बताया कि अपीलार्थी भूमि पर अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते हुये कृषि भूमि खसरा नम्बर 628 रकबा 0.06 बीघा पर अतिक्रमी घोषित कर लगान 0.08 के 50 गुना से रूपये 4.00 जुर्माना आरोपित किया तथा भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जिससे क्षुब्ध होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों व वास्तविक रेकर्ड से परे जाकर पारित करने, पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 628 के रास्ते का सीमांकन किये बगैर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बगैर पैमाईश किये मौके पर रास्ता आवागमन के लिये खुला की रिपोर्ट पेश करने, भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.08.16 तैयार करते समय अपीलार्थी को सुनवाई का मौका नहीं दिये जाने, हल्का पटवारी तिंवरी द्वारा राजनैतिक प्रभाव में आकर केवल मात्र अपीलार्थी को परेशान करने तथा खसरा नम्बर 628 के दूसरी तरफ स्थित खातेदारों को फायदा पहुंचाने की नियत से खसरा नम्बर 628 के रास्ते की जगह बदलने का प्रयास करने आदि आधारों पर अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.09.2016 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी ने अपनी बहस में कथन किया कि तिंवरी के खसरा नम्बर 321, 622, 623, 624 में कुल रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि आई हुई है। इसी भूमि के सहारे आम रास्ता चल रहा है जो खसरा नम्बर 610 व 628 है। वर्तमान में यह रास्ता खुला है तथा रास्ता कई वर्षों से चल रहा है। इस रास्ते पर अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 610 गै.मु. रास्ते की भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा बताया है। अपीलार्थीगण का खसरा नम्बर 628 में 0.06 बीघा भूमि पर अतिक्रमण बताया है। उस रिपोर्ट को आधार मानते हुए (दिनांक 18.08.2016 की रिपोर्ट अनुसार) तहसीलदार तिंवरी ने अतिक्रमण मानते हुए बेदखली व जुर्माना आदेश पारित किया है। रिपोर्ट में पड़ौसी खातेदारों की भूमि/खसरों की पैमाईश किए बिना गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण बताया है। जिस रास्ते का अतिक्रमण बताया है वह कई वर्षों से चला आ रहा हैं। जिस रिपोर्ट पर

तहसीलदार तिंवरी ने विश्वास कर अतिक्रमण माना है। अपीलार्थी अपने खातेदारी खेत नपवाने को तैयार है। पड़ौसी खेत भी नपवाये जावे तथा रास्ता के मुटाम उनके खेत में आयेगे तो रास्ता हेतु भूमि छोड़ने को तैयार है। तहसीलदार तिंवरी के समक्ष अतिक्रमण भूमि का नक्शा भी पेश नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय सही नहीं है। प्रकरण में जांच की आवश्यकता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.09.16 को निरस्त कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी ने अपनी बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 628 रकबा 0.06 बीधा गै.मु. रास्ता पर अपीलान्ट द्वारा जो अतिक्रमण किया हुआ था उसे हटाने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत होने के कारण अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करते हुए गहनता से अध्ययन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भू अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी तिंवरी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार तिंवरी ने खसरा नम्बर 610 व 628 जिसके मध्य आम रास्ता चल रहा है, उस पर अपीलार्थी का कब्जा मानते हुए अपीलाधीन आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया था कि उनका रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है हल्का पटवारी की रिपोर्ट गलत बनायी गई है। अपीलार्थी अपने स्वयं की खातेदारी पर ही काबिज है एवं अपीलार्थी आज भी अपनी खातेदारी भूमि का नापजोख कराने को तैयार है यदि नापजोख के आधार पर उसका कब्जा पाया जाता है तो वह उसे स्वयं हटाने को तैयार है। इस तथ्य को अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भी निवेदन किया था किन्तु अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने उस पर गौर नहीं किया एवं अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर इस संबंध कोई तथ्य अंकित नहीं पाये गये फिर भी प्राकृतिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए हम यह उचित समझते है कि अपीलाधीन आदेश की क्रियान्विति से पूर्व अपीलार्थी एवं सड़क के दूसरे छोर पर स्थित खसरे का नापजोख किया जाना उचित है।

अत: अपील अपीलार्थी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार, तिंवरी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन आदेश की

पालना करने से पूर्व विवादित खसरों का नापजोख किया जावे एवं बाद नापजोख अपीलार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 628 के रकबा 0.06 बीघा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पाया जाता है तो अपीलाधीन आदेश की पालना की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार तिंवरी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कुशल कुमार कोठारी)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर